

मध्यप्रदेश विधान सभा



जुलाई-अगस्त, 2003 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 5 अगस्त, 2003 (श्रावण 14, 1925)

समय 10.30 बजे

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री मुंशीलाल, अजय विश्‍नोई, नरोत्तम मिश्रा, सदस्य, प्रदेश के कुछ जिलों में बागरी व मांझी जाति के व्यक्तियों को प्रशासन द्वारा अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री मगनलाल गोहल, मुंशीलाल, अहिरवार पर्वतलाल, सदस्य, भिण्ड जिले के चतुर्वेदी नगर में हुई हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही न होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

3. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

- (1) श्री पी.सी. शर्मा, सभापति, प्राक्कलन समिति का षष्ठम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (2) श्री प्रभुदयाल गेहलोत, सभापति, याचिका समिति का चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (3) श्रीमती साधना स्थापक, सभापति, महिलाओं एवं बालकों के कल्याण संबंधी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी।
- (4) श्री शिव मोहन सिंह, सभापति, शहडोल जिले के पर्यटन स्थल अमरकंटक में अतिक्रमण कर निर्माण किये जाने संबंधी प्रकरण की जांच समिति का जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।

4. वक्तव्य

- (1) श्री सुभाष यादव, उप मुख्यमंत्री, जल संसाधन विभाग के विकास कार्यों के संबंध में वक्तव्य देंगे।
- (2) श्री हरवंश सिंह, वन मंत्री, बजट सत्र, 2003 के उपरांत वन विभाग के महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में वक्तव्य देंगे।
- (3) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, खनिज साधन मंत्री, विधान सभा बजट सत्र, 2003 के उपरांत विभागीय नीतिगत निर्णयों के संबंध में वक्तव्य देंगे।
- (4) श्री महेन्द्र बौद्ध, गृह मंत्री, गृह विभाग की गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगे।
- (5) श्री बाला बच्चन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की विशेष गतिविधियों के संबंध में वक्तव्य देंगे।

निर्धारित

समय

1 घन्टा

(1) श्री नरेन्द्र नाहटा, वाणिज्यिक कर मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक 2003 (क्रमांक 25 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

2 घन्टे

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 27 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) संशोधन विधेयक, 2003 (क्रमांक 28 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(4) डॉ. गोविन्द सिंह, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 29 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

30 मि.

(5) श्री वीरसिंह रघुवंशी, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश माध्यस्थम् अधिकरण (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (क्रमांक 30 सन् 2003) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।